वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 175/2025 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक-17.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 17.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना सरायमीर: दहेज प्रताड़ना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2025 को वादी लालचन्द पुत्र रजई निवासी ग्राम मकसुदिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 14.05.25 को समय करीब 21.00 बजे के अभुक्तगणों (ससुरालीजन) द्वारा वादिनी की पुत्री मंजुलता को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने, गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देते हुए गैस से जला देने व जिसका दवा इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, के सम्बन्ध में **मु0अ0स0 199/25 धारा 109/85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट** बनाम 1. सूरज पुत्र दीपचन्द (देवर) 2.दीपचन्द पुत्र अज्ञात (ससुर) 3.सूर्यभान पुत्र दीपचन्द (पति) 4. भीमा पत्नी दीपचन्द (सास) 5. अमित पुत्र दीपचन्द (देवर) 6. कलावती पुत्री दीपचन्द्र निवासीगण दरिखाशेख थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसमे अभियुक्तगण सूर्यभान, अमित पुत्रगण दीपचन्द व भीमा देवी पत्नी दीपचन्द निवासीगण ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 17.05.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 17.05.2025 को **उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त 1. सूर्यभान पुत्र दीपचन्द 2. अमित पुत्र दीपचन्द 3. भीमा देवी पत्नी दीपचन्द निवासीगण ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को छाऊ मोड़ संजरपुर** से समय करीब 06.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.सूर्यभान पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. अमित पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. भीमा देवी पत्नी दीपचन्द निवासी ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 199/25 धारा 109/85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

02.थाना सरायमीरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 16.05.2025 को उ0नि0 नीरज गौड़ मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नन्दाव मोड़ से नन्दाव बाजार के तरफ पैदल ही जा रहा हैं जिसके पास अवैध असलहा हैं। जो लोगो को दिखा डराकर पैसा छिन लेता हैं, इस सूचना पर उप निरीक्षकगण मय हमराह नन्दाव मोड पर पहुचे जिसके बाद हम सभी पुलिस वाले व मुखबिर नन्दाव मोड़ से नन्दाव बाजार कि ओर चल दिये की कमालपुर मोड़ से एक **व्यक्ति मो0 इम्तियाज पुत्र मो0 सईद निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 23.50 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- मो0 इम्तियाज पुत्र मो0 सईद निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरादमगी –

1-01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 204/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0 181/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना निजामाबाद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 324/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 41/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़।

03.थाना पवईः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरणः-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.05.25 को वादी उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त अंकुश पुत्र अजय कुमार निवासी ताजुद्दीनपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर को मैनुद्दीनपुर अण्डरपास से समय 04.10 बजे एक अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः

1- मु0अ0सं0 142/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1-अंकुश पुत्र अजय कुमार निवासी ताजुद्दीनपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर

04.थाना कप्तानगंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2025 को उ0नि0 विनोद कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि दो-तीन दिन पहले सरवनपुर में जो लड़के तंमचा से फायर किये थे। उसमें से एक गोपालगंज रोड से होते हुए छाता का पूरा ओवर ब्रीज की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त बाल अपचारी को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 22.30 बजे संरक्षण पुलिस मे लिया गया।

बरादमगी – 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 61(2) बी.एन.एस. व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज।

05.थाना- मेंहनगर: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.04.25 को प्रार्थी थाना मेंहनगर आजमगढ़ कि तहरीरी सूचना कि कल दिनांक 11/4/25 को 11 बजे रात्रि में एक बाल अपचारी द्वारा वादी की बहन उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा लगे गया, ऐसी स्थिति उपरोक्त घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 137(2)/87/61(2) BNS बनाम 1. सादीक S/O मलिक उर्फ नाटे 2. साहिल पुत्र मलिक उर्फ नाटे 3. मलिक उर्फ नाटे पुत्र अज्ञात निवासीगण बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 7.05.2025 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर बाजार से समय 06.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 17.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष कठोर के कारावास व 4000 रुपये से दण्डित किया गया।

थाना पवई: गैर इरादत्तन हत्या के प्रयास में 04 आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित।

➡ दिनांक- 17/07/2014 को वादी मुकदमा श्री रामदुलार पुत्र रामबली निवासी धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 17/07/2014 को अभियुक्तगण 1. हनुमान उर्फ हनुमंत पुत्र स्व0 सुखदेव 2. राजेश पुत्र रामआसरे 3. श्रीमती तारा देवी पत्नी मगन 4. श्रीमती भूइला देवी पत्नी रामआसरे समस्त निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की अम्बिका अपनी लड़की चिंकी को घर के बगल मे शौच करा रही थी इसी बात को लेकर अभि0गण उपरोक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने पीटने लगे बीच-बचाव करने आयी वादी की पत्नी को गम्भीर चोट आ गयी जिससे वह मौके पर बेहोश हो गयी और गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 78/2014 धारा-323,504, 506,308 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 17/05/2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1. हनुमान उर्फ हनुमंत पुत्र स्व0 सुखदेव 2. राजेश पुत्र रामआसरे 3. श्रीमती तारा देवी पत्नी मगन 4. श्रीमती भुइला देवी पत्नी रामआसरे समस्त निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित** किया गया।